सैक्षिक सत्र 2021–22 के लिये बी0टेक0 पाठ्क्रम में प्रवेष हेतु ऑनलाईन काउंसिलिंग के सम्बन्ध में दिषा निर्देष

वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून से सम्बद्व समस्त राजकीय सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग संस्थान, कॉलेज ऑफ टैक्नोलॉजी पंतनगर, कॉलेज ऑफ बेसिक सांईस एण्ड हयूमटीज, पंतनगर तथा उत्तराखण्ड तकनीकी विष्वविद्यालय के संघटक कॉलेजों एवं प्राईवेट इंजीनियरिंग कालेजों में सैक्षिक सत्र 2021.22 के लिये बी0टेक0 पाठ्यक्रम में प्रवेष हेतु आयोजित काउंसलिंग में भाग लेने वाने समस्त अभ्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे काउंसिलिंग में भाग लेने से पूर्व एवं अपने पाठ्यक्रम/कॉलेज का विकल्प (बीवपबम) भरने से पूर्व निम्नलिखित प्राविधानों एवं दिषा–निर्देषों को भलीभांति पढ लेः–

सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है की इस काउंसलिंग में JEE-Mains में प्रतिभाग किये गए अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी अतः चाहे कितनी भी कम रैंक हो आप JEE Mains से अप्लाई करें 10+2 से नहीं। क्युकी वरीयता क्रम में 10+2 केवल पास अभ्यर्थियों को नीचे रखा जाएगा।

1. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अधिक से अधिक संख्या में अपनी चाइसेस भरें जिससे उनको काई ना कोई सीट अवश्य आवंटित हो जाये।
2. राजकीय सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेजों यथा–कॉलेज ऑफ टैक्नोलॉजी, पंतनगर, जी0बी0 पंत इंजीनियरिंग कॉलेज, पौडी, विपिन चन्द्र त्रिपाटी कुमायूं इंजीनियरिंग कॉलेज, द्वाराहाट एवं उत्तराखण्ड तकनीकी विष्वविद्यालय के संघटक कॉलेज, टी0एच0डी0सी0 (आई0एच0ई0टी0) इंजीनियरिंग कॉलेज, टिहरी, गढ़वाल, नन्ही परी सीमान्त इंजीनियरिंग कॉलेज, पिथौरागढ, प्रौद्योगिक संस्थान, डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्रौद्योगिक संस्थान, टनकपुर, प्रोधोगिकी संस्थान, गोपेष्वर, तथा महिला इंजीनियरिंग संस्थान, देहरादून में प्रवेष हेतु आल इण्डिया कोटा 15 प्रतिषत व राज्य (उत्तराखण्ड) कोटा 85 प्रतिषत निर्धारित है।
3. वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय से सम्बद्व निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में आल इण्डियाकोटा 35 प्रतिषत तथा राज्य (उत्तराखण्ड) कोटा 50 प्रतिषत एवं 15 प्रतिषत मैनेजमेंट कोटानिर्धारित है। आनलाईन कांउसलिंग के माध्यम से केवल ऑल इण्डिया एवं राज्य की सीटेंआंवटित की जायेगी ।

4. प्रवेश प्रक्रिया अभातशिप (AICTE) नई दिल्ली के मानको के अनुसार तत्वतः संपादित की जायेगी,

Programme	Eligibility
Engineering and Technology	Passed 10+2 examination with Physics/ Mathematics / Chemistry/ Computer Science/Electronics/Information Technology/ Biology/Informatics Practices/ Biotechnology/ Technical Vocational subject/ Agriculture/ Engineering Graphics/ Business Studies/Entrepreneurship.(Any of the three) Obtained at least 45% marks (40% marks in case of candidates belonging to reserved category) in the above subjects taken together.

बी0टेक प्रथम वर्ष में प्रवेश JEE Main 2021 की रैंक तथा 12वीं परीक्षा में अभातशिप के मानकों के अनुसार प्राप्तांको का प्रतिशत अंकों के आधार पर किया जायेगा। JEE Main के रैंक के अभ्यर्थियों को सीट आवंटन प्रक्रिया में वरीयता प्रदान की जायेगी।

5. ऐसे सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं इनके अन्तर्गत षाररिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी नही है अर्थात उनके पास उत्तराखण्ड कास्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र नही है और जिन्होने उत्तराखण्ड में स्थित किसी विद्यालय से10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण की है वे अभ्यर्थी ऑल इण्डिया कोटे के अन्तर्गत आयेगें। या वो उत्तराखण्ड की सामान्यश्रेणी में सीट लें सकते हैं ।

6. राज्य (उत्तराखण्ड) कोटे के अर्न्तगत अनुसूचित जाति (SC) अनुसूचित जनजाति (ST) अन्यपिछ़डा वर्ग (OBC) दिव्यांग (PH) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित; ;FF), सैनिकों के आश्रितों (AF) महिला (W) आर्थिक रूप से निर्बल (TFW) का लाभ लेने केलिये अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड का मूल/स्थाई प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

7. ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी नही है अर्थात उनके पास उत्तराखण्ड का स्थाई/मूल निवास पत्र नही है किन्तु उन्होने 10+2 की परीक्षा उत्तराखण्ड में स्थित किसी भी विद्यालय से उत्तीर्ण की हो, उनको राज्य (उत्तराखण्ड) के अन्तर्गत सामान्य ;ळमदद्ध श्रेणी में सीट आवंटित की जायेगी। परन्तु उन्हे सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत कोई भी क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) जैसे– दिव्यांग (PH) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित (FF) सैनिकों के आश्रितों (AF) महिला (W) आरक्षण देय नही होगा।

8. ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी नही है अर्थात उनके पास उत्तराखण्ड का स्थाई मूल निवास प्रमाण–पत्र नही है किन्तु उन्होने 10+2 की परीक्षा उत्तराखण्ड में स्थित किसीभी विद्यालय से उत्तीर्ण की हो, उनकों राज्य (उत्तराखण्ड) कोटे अन्तर्गत सामान्य ;ळमदद्ध श्रेणीमें सीट आवंटित की जायेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थियों को सामान्य (Gen) श्रेणी के अन्तर्गतमहिला (W) आरक्षण (क्षैतिज आरक्षण) नही मिलेगा। यह आरक्षण केवल उत्तराखण्ड की स्थायी/मूलनिवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए अनुमन्य है। अतः ऐसी महिला अभ्यर्थी राज्य (उत्तराखण्ड)कोटे के अन्तर्गत सामान्य (Gen) श्रेणी में Open Seat (OP/M) का चयन करें।

9. आल इण्डिया कोटे के अन्तर्गत आने वाले अनुसूचित जाति (SC) अनुसूचित जनजाति (ST) दिव्यांग (PH) अभ्यर्थियों के लिए अनुमन्य आरक्षण निर्धारित है किन्तु सक्षमस्तर से निर्गत जाति/विकलांगता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

10. उत्तराखण्ड कोटे के अन्तर्गत आने वाले अनुसूचति जाति (SC) अनुसूचित जनजाति (ST) अन्यपिछडा वर्ग (OBC) दिव्यांग (PH) स्वंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित (FF) सैनिकों के आश्रितों (AF) आर्थिक रूप से निर्बल (TFW) के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम स्तर सेनिर्गत सम्बन्धित प्रमाण पत्र और स्थाई निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

11. उत्तराखण्ड कोटे के अन्तर्गत अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण पत्र विगत एक/तीन वर्ष के अन्दर (उत्तराखण्ड़ शासन के निर्देशानुसार) बना होना चाहिए। साथ ही आय प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना भी अनिवार्य है । साथ यह शपथ पत्र भी दिया जाना अनिवार्य होगा की वे क्रीमी लेयर के अन्तर्गत नहीं आते है। यदि यह तथ्य गलत पाया जाता है तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

12. राज्य (उत्तराखण्ड) कोटे के अन्तर्गत आर्थिक रूप से निर्बल (TFW) श्रेणी में शासनादेष संख्याः 348@XXXIV(8)/10-26/10 दिनांक 19.01.2011 एवं यथा संषोधित शासनादेष संख्या% 647@XLI-1/12-26/10] दिनांक 20.06.2012 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी पात्र होगें जिनके पासउत्तराखण्ड का स्थाई निवास प्रमाण पत्र हो और जिनके अभिभावकों की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 4.50 लाख से कम हो ऐसे अभ्यर्थियों के पास सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र अथवाबी0पी0एल0 कार्ड होना अनिवार्य होगा। ऐसे प्रवेषित अभ्यर्थियों से किसी भी कॉलेज (निजी एवंसरकारी) द्वारा प्रत्येक वर्ष लिये जाने वाला षिक्षण षुल्क ;ज्नजपवद थ्ममद्ध नही लिया जायेगा।

13. शासनादेश संख्या 1003/XLI-1/19-42/19 दिनांक 12.07.2019 के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग Economic Weaker Section के अभ्यर्थियों के लिये पाठ्यक्रमों में सत्र 2019–20 से 10 प्रतिशत सीटों को आरक्षित किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यथियों द्वारा ऑनलाइन काउंसिलिंग के समय EWS श्रेणी में चयन करना होगा एवं प्रवेश के समय निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। EWS आरक्षण हेतु सक्षम स्तर के अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र ही स्वीकार किये जायेगें।

14. कोउंसिलिंग में विभिन्न आरक्षण श्रेणीयॉ निम्न प्रकार से दर्शायी गयी हैं–

वर्टिकल आरक्षण–Gen- जनरल वर्ग, SC- अनुसूचित जाति वर्ग, ST- अनुसूचित जनजाति वर्ग, OBC- अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग।

उपरोक्त में क्षैतिज आरक्षण की श्रेणियॉ निम्न हैं–

M- मेन (Main/Open) वर्ग (जिसमें किसी भी वर्ग का अभ्यर्थी प्रवेश ले सकता है), AF- सशस्त्र बल (Armed Force) वर्ग (AF- की सीट एक्स सर्विसमैन हेतु है जिसके पास सैनिक पुर्नवास कल्याण बोर्ड

द्वारा निर्गत एवं एस0डी0एम0 द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र हो) PH- द्विव्यांग (40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक विकलांगता), FF- फ्रीडम फाईटर (स्वतंत्रता सैनानी), W- महिला वर्ग

15. ऑनलाईन रजिस्ट्रेषन हेतु निर्धारित षुल्क रू0 2000/– का भुगतान ऑनलाईन माध्यम से ही किया जा सकता है। ऑनलाईन रजिस्ट्रेषन के अन्तिम दिवसों में अधिकतर अभ्यर्थियों द्वारा रजिस्ट्रेषन किया जाता है। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन रजिस्ट्रेषन/भुगतान हेतु अन्तिम दिवस का इन्तजार न करे। यदि रजिस्ट्रेषन के अन्तिम दिवस में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर किसी प्रकार की तकनीकी समस्या उत्पन्न होने से भुगतान/रजिस्ट्रेषन नही हो पाता है तो इसके लिए वह स्वंय जिम्मेदार होंगे।

16. इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान हेतु अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के हैल्पलाइन नं0, 8865004876, 8630332869 पर 27 सितम्बर 2021 से प्रातः 10.00 बजे सायॅ 5.00 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं। या ई–मेल counseling@uktech.ac.in पर मेल कर सकते हैं।